an>

title: Need to undertake repair of bridge (NH-86) on Sambhua railway crossing in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) ः मैं अपने संसदीय क्षेत्र अकबरपुर, उत्तर प्रदेश के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-86 में शम्भुआ रेलवे क्रॉसिंग पर नवनिर्मित पुल के निर्माण में हुई व्यापक धांधली और वित्तीय अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस पुल के निर्माण में मानकों की इस हद तक अनदेखी हुई है कि कुछ समय पहले चालू हुआ पुल चार बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरे पुल पर बड़े-बड़े गड्ढे साफ नज़र आते हैं और एक जगह तो पुल का बड़ा हिस्सा पांच फीट तक धंस गया है जिसके कारण पुल पर भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है और जनता को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। स्थानीय समाचार-पत्रों की रिपोर्ट से आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पुल के निर्माण की अनियमितताओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों ने भी अपनी जांच में सही पाया था, लेकिन आज तक दोषी अधिकारियों, निर्माता कंपनी और ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस संदर्भ में माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के उस पत्र का भी हवाला देना चाहूंगा जो 31.03.2016 को कोलकाता में हुए भयंकर फ्लाईओवर हादसे के बाद संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था। जिसमें निर्माण की गुणवत्ता खरी रखने एवं अभी निर्मित एवं निर्माणाधीन पुलों की जांच रिपोर्ट के संबंध में स्पष्ट आदेश दिए गए थे। विभाग के अधिकारी मा. मंत्री जी के आदेशों की भी अवहेलना करने से नहीं चूंक रहे हैं, जिससे इनके परिणाम अत्यंत कष्टदायी हो सकते हैं। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शम्भुआ क्रॉसिंग पर बने पुल की दुर्दशा के बाबत कई बार मौखिक एवं अपने पत्र संख्या 1464/अ.लो./2014-15 दिनांक 14.06.2016 के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराये जाने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे जन सामान्य को असुविधा, जन-जीवन को खतरा तो मौजूद है ही, विभाग और सरकार की साख पर भी सवाल खड़ा होता है।

अतः निवेदन है कि जन-जीवन की सुरक्षा और सुविधा के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों, निर्माता कंपनी एवं ठेकेदारों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाकर ऐसी कड़ी कार्यवाही करें जो मिसाल बने और भविष्य में कोई कंपनी या अधिकारी जन-जीवन के साथ खिलवाड़ न कर सके।